ANNEXURE-3 3

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH WA 691436

सत्यमेव जयते

यह प्रमाणित [illegible] मान्यता शिक्षा प्रमाण

प्रकार प्रसार [illegible]

[illegible] [illegible] -1508/33,

के स्वीकृति-पत्र [illegible] संलग्न है

Anand
Principal
J.N. Shahi College of [illegible]
Nautan, Banyarpur, [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

12/12/09

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17AA 691437

Principal
J.N. Shah College

सत्य प्रतिलिपि

10/12/09

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु.5 | Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 17AA 691438

यह [illegible] मानव शिक्षा सेवा

प्रचार प्रसार समिति, [illegible] 1-150630,

जिला [illegible]

सूची क्रमांक-2009-10, [illegible] संलग्न है

सत्य प्रतिलिपि

Anand
Principal
J.N. Shahi College
Nautan, Banyarpur

[illegible] 10/12/09

मानव शिक्षा एवं प्रचार प्रसार समिति

अवधपुरी कालोनी खण्ड खरगापुर गोमती नगर, लखनऊ

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2009–2010

क्र. सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री जगन्नाथ शाही पुत्र स्व0 दरोगा शाही	अवधपुरी कालोनी खण्ड एक खरगापुर गोमती नगर,लखनऊ	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्रीमती रूक्मा शाही पत्नी श्री अखिलेश शाही	अवधपुरी कालोनी खण्ड एक- खरगापुर गोमती नगर,लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती रितू शाही पत्नी श्री धर्मेश कुमार शाही	181/8, शास्त्री नगर कानपुर	सचिव	समाजसेवा
4.	अजित राय पुत्र श्री पी0एन0राय	53/2, अवधपुरी खरगापुर लखनऊ	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 शंकर सिंह	एक्सटेन्शन रोड, लेन नं0-17 विजय पार्क, देहरादून	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री सतीश वर्मा पुत्र श्री शिवशंकर वर्मा	29, राजीवपुरम पिकनिक स्पाट रोड फरीदी नगर, लखनऊ	सदस्य	व्यापार
7.	श्री रणजीत पाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पाल	राजेन्द्र नगर, निकट-गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री विवेक सिंह पुत्र श्री आर पी सिंह	विवेक हास्टल चिनहट लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्रीमती शशि किरन शाही पत्नी श्री विवेक शाही	बिलन्दपुर, निकट-डी0आई0जी0 आवास, गोरखपुर	सदस्य	गृहणी
10.	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह	ग्राम व पोस्ट खजुरगाँव जिला-गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्री भृगु प्रसाद पुत्र श्री नगीना प्रसाद	ग्राम व पोस्ट बरियापुर जिला-देवरिया	सदस्य	समाजसेवा
12.	श्री कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	ग्राम व पोस्ट [illegible] जिला गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्री उदय सिंह पुत्र श्री नन्दपाल सिंह	12/292, इन्दिरा नगर लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
14.	शाकिर अली रिजवी पुत्र श्री नाजिम अली रिजवी	1, फरीदी नगर लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

(सत्यप्रतिलिपि)

मु0 हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

सत्य प्रतिलिपि

Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Bariy[illegible]

10. संस्था के नियमों एवम् विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन [illegible]

[illegible]

द्वारा की जायेगी।

11. संस्था का कोष :-

संस्था का समस्त कोष किसी निकटस्थ [illegible] बैंक या पोस्ट आफिस या शिड्यूल्ड बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष/संरक्षक एवं के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा-परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:

संस्था के पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष/संरक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के अभिलेख :-

(अ) सदस्यता रजिस्टर (ब) कार्यवाही रजिस्टर

(स) एजेण्डा रजिस्टर (द) लेजर बुक कैशबुक, स्टाक रजिस्टर।

15. ऋण की अदायगी :

सार्वजनिक राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंको तथा सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों से कर्ज/ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करना व उनके नियमों के अनुसार समय से वापस करना लिये गये धन को उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 30.08.07

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

1. Shahi

2. [illegible] Shahi

3. [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]

10/12/07

Anand
Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Baryarpur, Deoria

(ल) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

अध्यक्ष/संरक्षक :-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए तिथि अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।
5. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।
7. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
8. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
9. संस्था से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, नीलामी, आरक्षण पत्रों नियुक्ति पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
11. राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
12. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
13. प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
14. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।
15. संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
16. संस्था का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।
17. अध्यक्ष अपनी अनुपस्थित में अध्यक्षीय कार्य हेतु किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं।
18. संस्था की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

उपाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सौंपित विषयों को अध्यक्ष के सभी कर्तव्य एवं अधिकारों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं अध्यक्ष/संरक्षक के कार्यों में मदद करना।

सचिव :-

1. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
3. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार अध्यक्ष की स्वीकृति से करना।
4. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
5. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
6. सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
7. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना।

कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. संस्था का प्रतिवर्ष का आडिट कराना।
3. अध्यक्ष/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4. सदस्यों से चन्दा, सदस्यता शुल्क व अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीद देना एवं प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करना।

हस्ताक्षर

1. Shahi

2. Runa Shahi

Ritu Singh

Principal
J.N. Shah College of Pharmacy
Nautan Baniyapur, Siwan

(ग) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि

अध्यक्ष ... के वार्षिक ...

प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

(२) साधारण सभा के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन संस्था के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :-

(अ) गठन :-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष/संरक्षक-एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा 10 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 14 होगी। जो साधारण में 2/3 के बहुमत से घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

(ब) बैठकें :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रतिमाह व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:-

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व, सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति:-

प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु, कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु मान्य होगी।

(य) रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति, साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा, शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

1. संस्था के विकास के लिये आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सद्‌भाव का आयोजन करना। समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों, अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त निगम, उ0प्र0, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग व ग्राम निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व सहयोग करना। श्रम मंत्रालय वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता के रूप में ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों में खर्च करना एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 5 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का बंधक/रहन रखना।
4. आवश्यकतानुसार संस्था के लिए जमीन खरीदना व उसपर भवन निर्माण कराना एवं संस्था के हित में आवश्यकतानुसार क्रय विक्रय करना एवं लीज पर देना।
5. संस्था की उपसमितियों/शाखाओं का गठन ... एवं उन पर नियंत्रण रखना।

हस्ताक्षर

1. Shahi

2. Kumar Shahi

3. Pitu Singh

सत्य प्रतिलिपि

10/12/2007

Principal
J.N. Shahi College of ...
Nautan, Bariyarpur

नियमावली

1. संस्था का नाम : **मानव शिक्षा एवं प्रचार प्रसार समिति**
2. [illegible]
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

<u>सदस्यता:-</u>

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हों, सदस्यता हेतु अध्यक्ष/संरक्षक की अनुमति आवश्यक होगी।

<u>आजीवन सदस्य:-</u>

संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 501/- रूपये नगद या उतने ही मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति दान करते हो, वे व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

<u>सामान्य सदस्य:-</u>

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हों व संस्था को 5[illegible]/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे, वह व्यक्ति संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

हस्ताक्षर

1\. [signature]

2\. Ravi Shahi

3\. [signature]

5. सदस्यता की समाप्ति :-
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर।
   4. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
   5. स्वतः त्याग पत्र देने पर।
   6. न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित होने पर।
   7. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
   8. 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर।

6. <u>संस्था के अंग :-</u>

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. <u>साधारण सभा :-</u>

(अ) <u>गठन:-</u>

साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ब) <u>बैठकें:-</u>

साधारण सभा की सामान्य बैठक माह में एक बार तथा विशेष बैठक [illegible] आवश्यकतानुसार कभी भी सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(स) <u>सूचना अवधि:-</u>

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(द) <u>गणपूर्ति:-</u>

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थित गणपूर्ति हेतु मान्य होगी।

[signature]
Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Banyarpur, Deoria

5. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता,पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री जगन्नाथ शाही पुत्र स्व0 दरोगा शाही	अवधपुरी कालोनी खण्ड एक खरगापुर, गोमती नगर, लखनऊ	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्रीमती रूपा शाही पत्नी श्री अखिलेश शाही	अवधपुरी कालोनी खण्ड एक खरगापुर, गोमती नगर, लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती रितू शाही पत्नी श्री धर्मेश कुमार शाही	181/8 शास्त्री नगर, कानपुर	सचिव	समाजसेवा
4.	श्रीमती एकता शाही पत्नी श्री शैलेश कुमार शाही	अवधपुरी कालोनी खण्ड एक खरगापुर, गोमती नगर, लखनऊ	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5.	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 शंकर सिंह	एक्सटेन्शन रोड, लेन नं0 12 विजय पार्क, देहरादून	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री सतीश वर्मा पुत्र श्री शिवशंकर वर्मा	29 राजीवपुरम् पिकनिक स्पार्ट रोड, फरीदीनगर, लखनऊ	सदस्य	व्यापार
7.	श्री रणजीत पाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन पाल	राजेन्द्र नगर, निकट-गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री विवेक सिंह पुत्र श्री आर0 पी0 सिंह	विक्रम हास्टल विनहट, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्रीमती शशि किरन शाही पत्नी श्री विवेक शाही	बिलन्दपुर, निकट-डी0आई0जी0 आवास, गोरखपुर	सदस्य	गृहणी
10.	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह	ग्राम व पो0-खजुरगॉवा, जिला-गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्री भृगु प्रसाद पुत्र श्री नगीना प्रसाद	ग्राम व पो0-बरियारपुर, जिला-देवरिया	सदस्य	समाजसेवा
12.	श्री कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	ग्राम व पो0-छताई, जिला-गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्री उदय सिंह पुत्र श्री नन्दपाल सिंह	12/292 इन्दिरा नगर, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
14.	शाकिर अली रिजवी पुत्र श्री नाजिम अली रिजवी	1 फरीदीनगर, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

6. हम उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि इसके द्वारा स्मृति पत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक :: 30-08-07

हस्ताक्षर ::

1. Shahi
2. Ruma Shahi
3. Ritu Shahi
4. Ekta Shahi
5.
6.
7.
8. Vivek Singh
9.
10. सीमा सिंह
11. भृगु प्रसाद
12. कृष्ण प्रताप
13.
14.

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Sanyarpur, Deoria

10. [illegible]

11. परिवार नियोजन कैम्प, निःशुल्क टीकाकरण, पोलियो ड्राप, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जैसे भयंकर रोगो के निवारण,मद्यनिषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन, एवं महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

12. जन हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए शार्ट स्टे होम, आदि की स्थापना करना।

हस्ताक्षर :

1. [signature]

2. Kumna Shakti

3.

4. [signature] Akta Singh

5. [signature]

6. [signature]

7. [signature]

8. Vivek Singh

9. [signature]

10. [signature]

11. [signature]

12. [signature]

13.

14. [signature]

13. निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना करना व गरीब मरीजों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।

14. अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगार परक बनाना।

15. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, [illegible] शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा, प्रबन्ध शिक्षा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

16. शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड, सार्वजनिक संस्थाओं, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण विद्यालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना व उनके सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा मलिन बस्तियों के सुधार, सफाई व शौचालय, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना [illegible]

17. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं बिमारियों में उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा शोध एवं अनुसंधान के कार्य करना।

18. गरीब महिलाओं/विधवाओं, विकलांग युवक/युवतियों का [illegible] विवाह करवाना, बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार [illegible] को रोकना एवं इसके बारे में लोगों को जागरूक करना।

19. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, धूम्रपान, नशा उन्मूलन, जल संचय (रेन हार्वेस्टिंग) स्वजल धारा, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, पुष्टाहार [illegible] कार्यक्रम, बागवानी विकास, वैकल्पिक उर्जा, पशु पक्षी संरक्षण [illegible] जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

20. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रारम्भ की जाने वाली अन्य समान परियोजनाओं से जुड़े व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण एवं वर्कशाप आयोजित करना।

21. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि [illegible]

[signature]

Principal
J.N. Shabi College of Pharmacy
Nautan, Sanvarpur, Deoria

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : [illegible] शिक्षा एवं प्रचार प्रसार [illegible]
2. **संस्था का पूरा पता : अवधपुरी कालोनी खण्ड एक खरगापुर, गोमती नगर, लखनऊ**
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।**
4. **संस्था का उद्देश्य :**

हस्ताक्षर

1. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, कलात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास करना।
2. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों, बालक/बालिका विद्यालयों, कालेजों [illegible] विद्यालय की स्थापना करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर [illegible] की व्यवस्था करना। [illegible]
3. निर्धन, निराश्रित, पिछड़े, अन्धों, मूक बधिर, कुष्ठ व विकलांगों [illegible] तथा बच्चों के लिये चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, दवायें, छात्रवृत्ति एवं [illegible] की सुविधा, एवं निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा अन्य सुविधायें [illegible] करना एवं विभिन्न संक्रामक रोगों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके [illegible] एवं विकास का हर सम्भव प्रयास करना।
4. संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय [illegible] पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
5. समय समय पर [illegible], टीकाकरण, प्रशिक्षण शिविरों आदि का निःशुल्क [illegible] करना। स्वरोजगार [illegible] हेतु जन साधारण को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, संगीत गायन, वादन, क्रियेटिव राइटिंग, [illegible] कम्पटीशन, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, [illegible] प्रसंस्करण, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क [illegible] स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
6. महिला एवं [illegible] युवा समूहों का गठन करना, [illegible] सशक्तीकरण एवं ग्राम्य विकास योजनाओं के तहत विभिन्न [illegible] करना।
7. सड़कों पर काम करने वाले [illegible] बनाने एवं वस्त्र भोजन, चिकित्सा एवं [illegible] शिक्षा [illegible] मदद करना।
8. समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा [illegible] सहायता [illegible] पुष्टाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।
9. एड्स, कैंसर, टी०बी०, थैलिसीमिया, हार्ट डिसीज, हेपेटाइटिस-बी, [illegible] आदि जान लेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना तथा विभिन्न प्रकार [illegible] चैरिटी शो तथा अन्य [illegible] को समय समय पर करवाते रहना।

Anand
Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Bariyarpur, Deoria

ANNEXURE-4 4

Secretary/Manager
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Bariyarpur, Deoria